राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 745 / 2005 / बीकानेर

इकबाल खां पुत्र बखूखां जाति मुसलमान ग्राम धारूसर तहसील पूगल जिला बीकानेर

....अपीलांट

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह राजपूत निवासी हरियासर तहसील सरदार शहर जिला चुरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अपीलांट
श्री एस. पी. सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 25.11.2021

निर्णय

यह अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 16 / 2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–1–2005 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के समक्ष धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया

कि ग्राम धारूसर के खसरा नंबर 18 में उसे टी.सी. पर 25 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिसके वर्तमान में चक 650 आर.डी. के मु0नं0 232/39 में फिट हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट का वर्ष 1985 से कब्जा काश्त है एवं अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि न्यायालय में जेरकार है एवं वादी को पुख्ता आवंटन करने का पूर्ण अधिकार है। इस कारण वादी को पुख्ता आवंटन हेतु सक्षम घोषित होने का हक है जिसका वह टेनेन्ट है। विपक्षी संख्या 1 ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर वादी के कथनों को इंकार किया एवं विपक्षी संख्या 2 ने भी जवाब दावा पेश कर वादी के कथनों को इंकार किया। विचारण न्यायालय ने चार तनकियात कायम की जिस पर साक्ष्य ली जाकर वादी का वाद दिनांक 21–10–2003 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के समक्ष पेश की गई जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–1–2005 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील पेश की है। उनका तर्क है कि अपीलांट विवादग्रस्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त है जिसका खण्डन रेस्पो0 सं. 1 द्वारा नहीं किया गया। रेस्पो0सं. 1 को 20 बीघा भूमि का पश्चातवर्ती आवंटन कर दिया गया था परन्तु भूमि का भौतिक कब्जा उसे कभी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात का विवेचन पूर्ण रूप से नहीं किया है जबकि अपीलांट द्वारा उनके समक्ष अपीलांट को टी.सी. पर हुए भूमि आवंटन के बाबत सूबत व साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का भलीभांति अध्ययन नहीं किया एवं सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी भी तनकियात पर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन नहीं किया गया है जो आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया है। धारा 188 के तहत केवल टीनेन्ट ही दावा ला

सकता है। अपीलांट की हैसियत मात्र अतिक्रमी की है ऐसे में अपीलांट दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा टी.सी. पर भूमि आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई। साथ ही अपीलांट को हुआ टी.सी. आवंटन आगे के वर्षो में नवीनीकरण हुआ हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलांट को यदि टी.सी. पर आवंटन हुआ है तो इसके लिए पुख्ता आवंटन की कार्यवाही सक्षम अधिकारी से करवा सकता है अपीलांट दावे के माध्यम से इस प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए ही विचारण न्यायालय ने अपीलांट के वाद को सही रूप से खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए अपीलांट की अपील खारिज की है, जो उचित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलांट द्वारा विवादित आराजी उसके पक्ष में टी.सी. पर आवंटन होकर कब्जा प्राप्त करने के संबध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं ना ही टी. सी. पर आवंटन के पश्चात् आगामी वर्षो में नवीनीकरण होने संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा वर्ष 1985 में टी.सी. पर आवंटन होना व कब्जा हेतु धारा 22 के नोटिस पेश करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट की हैसियत मात्र अतिक्रमी की है। अपीलांट द्वारा वर्ष 1985 में टी.सी. आवंटन एक साला होना बताया गया है किन्तु उसका आगे नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त योग्य होता है। साथ ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य के अनुसार विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को एवं वन विभाग को आवंटित है। ऐसे में अपीलांट भूमि का टीनेन्ट नहीं होने से दावा के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिपेक्ष्य में ही विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट/वादी के वाद एवं अपील को खारिज किया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। हम दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों से सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–1–2005 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–2003 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य